न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–02, बांदीकुई, जिला–दौसा।

पीठासीन अधिकारी– अनुतोष गुप्ता, आर.जे.एस.(RJ00636)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

राजस्थान राज्य बनाम राजवीर
सेशन प्रकरण संख्या–17/2023 बी.टी.नंबर–32/2023
सीआईएस प्रकरण संख्या 18/2023
CNR RJDS060003332023
FIR No.56/2023 पुलिस थाना–बसवा
निर्णय दिनांक–06.06.2026

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

राजवीर पुत्र गंगासहाय, निवासी–बीडा की ढाणी, गुढाकटला, पुलिस थाना–बसवा, जिला–दौसा।

–अभियुक्त

उपस्थितः–

1.राजस्थान राज्य की ओर से– श्री रमेश सैनी, अपर लोक अभियोजक।

2.अभियुक्त राजवीर की ओर से – श्री एस.के.जैन, एडवोकेट।

अपराध की दिनांक	29.01.203/04.02.2023
एफआईआर दर्ज कराने की दिनांक	16.02.2023
आरोप पत्र पेश करने की दिनांक	16.05.2023
आरोप विरचित करने की दिनांक	01.05.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	20.06.2024
बहस अंतिम की दिनांक	02.06.2026
निर्णय दिनांक	06.06.2026
दंडादेश की दिनांक (If Any)	–

अभियुक्त का विवरणः–

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोज

							न के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1.	राजवीर	12.03.2023	24.07.2024	304 बी, 406, 498 ए भा.द.सं.	दोषमुक्त	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः–

(अ) अभियोजन साक्षीः–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	पी.डब्ल्यू–1 सुमेर सिंह	परिवादी
2.	पी.डब्ल्यू–2 दिनेश	फर्द पंचायतनामा
3.	पी.डब्ल्यू–3 कमोद	वाकियाती गवाह/मृतका की माता
4.	पी.डब्ल्यू–4 मोतीलाल	पंचनामा का गवाह/वाकियाती गवाह
5.	पी.डब्ल्यू–5 चमनलाल	वाकियाती गवाह/मृतका का चाचा
6.	पी.डब्ल्यू–6 विजय कुमार	वाकियाती गवाह/मृतका का चाचा
7.	पी.डब्ल्यू–7 सोनू	वाकियाती गवाह/मृतका का भाई
8.	पी.डब्ल्यू–8 सुखराम	फर्द जब्ती दुपट्टा का गवाह
9.	पी.डब्ल्यू–9 सीताराम	फर्द जब्ती का गवाह
10.	पी.डब्ल्यू–10 कैलाश चंद	मृतका के ससुराल का पडौसी
11.	पी.डब्ल्यू–11 प्रेम देवी	मृतका के ससुराल की पडौसी
12.	पी.डब्ल्यू–12 छोटी देवी	मृतका के ससुराल का पडौसी
13.	पी.डब्ल्यू–13 डॉ.नन्दलाल	चिकित्सीय साक्षी

	डिसानिया	
14.	पी.डब्ल्यू–14 बलवीर	एफएसएल में माल जमा कराने का गवाह
15.	पी.डब्ल्यू–15 पुष्पा	एफएसएल में माल जमा कराने की गवाह
16.	पी.डब्ल्यू–16 डॉ.प्रदीप मित्तल	चिकित्सीय साक्षी
17.	पी.डब्ल्यू–17 डॉ.गिरधर शर्मा	चिकित्सीय साक्षी
18.	पी.डब्ल्यू–18 शेर सिंह	फर्द गिरफतारी अभियुक्त का गवाह
19.	पी.डब्ल्यू–19 उदय सिंह	अनुसंधान अधिकारी

(ब) प्रतिरक्षा साक्षीः–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	–	–

(स) न्यायालय साक्षीः–

NIL

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः–

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्शपी–1	फर्द पंचायतनामा
2.	प्रदर्शपी–2	रसीद सुपुर्दगी लाश
3.	प्रदर्शपी–3	तहरीरी रिपोर्ट
4.	प्रदर्शपी–4	चाक एफआई.आर.
5.	प्रदर्शपी–5	नक्शा मौका

6.	प्रदर्शपी–6	धारा 161 द.प्र.सं. के कथन मोतीलाल
7.	प्रदर्शपी–7	धारा 161 द.प्र.सं. के कथन चमनलाल
8.	प्रदर्शपी–8	धारा 161 द.प्र.सं. के कथन विजय कुमार
9.	प्रदर्शपी–9	धारा 161 द.प्र.सं. के कथन सोनू सैनी
10	प्रदर्शपी–10	फर्द जब्ती दुपट्टा
11.	प्रदर्शपी–11	फर्द जब्ती दहेज का सामान अंगूठी व माला
12.	प्रदर्शपी–12	फर्द जब्ती दहेज सामान
13.	प्रदर्शपी–13	धारा 161 द.प्र.सं. के कथन कैलाश चंद
14.	प्रदर्शपी–14	धारा 161 द.प्र.सं. के कथन प्रेमदेवी
15.	प्रदर्शपी–15	धारा 161 द.प्र.सं. के कथन छोटी देवी
16.	प्रदर्शपी–16	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
17.	प्रदर्शपी–17	एफ.एस.एल.रिपोर्ट
18.	प्रदर्शपी–18	बैड हैड टिकिट
19.	प्रदर्शपी–19	मेडीकल रिपोर्ट अभियुक्त राजवीर
20.	प्रदर्शपी–20	फर्द गिरफ्तारी राजवीर
21.	प्रदर्शपी–21 से 23	एफएसएल की प्राप्ति रसीद
22.	प्रदर्शपी–24 से 33	दहेज सामान के बिलों की प्रति
23.	प्रदर्शपी–34	विवाह कार्ड
24.	प्रदर्शपी–35 से 37	मालखाना रजिस्टर
25.	प्रदर्शपी–38	एफ.एस.एल.रिपोर्ट
26.	प्रदर्शपी–39 व 40	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र

(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	–	–

(स) न्यायालय दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	–	–

(द) आर्टिकल्स सूचीः–NIL

अपराध अंतर्गत धारा 304 बी, 406 एवं 498 ए भारतीय दंड संहिता, 1860

– निर्णय – **दिनांकः06.06.2026**

1. हस्तगत प्रकरण में बाद अनुसंधान पुलिस थाना बसवा के द्वारा अभियुक्त राजवीर के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया तथा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा के आदेश के क्रम में यह प्रकरण अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–1, बांदीकुई से हस्तान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

2. अभियोजन प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी सुमेर सिंह के द्वारा दिनांक 16.02.2023 को पुलिस थाना बसवा के समक्ष

एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी–3 इस आशय की प्रस्तुत की कि उसकी मृतक बहिन रिंकेश का विवाह दिनांक 08.05.2021 को अभियुक्त राजवीर के साथ हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ और उसके पिता के द्वारा शादी में 9,00,000 रूपये खर्च कर दहेज का सामान दिया गया किन्तु विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति/अभियुक्त राजवीर एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा रूपये की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करना शुरू कर दिया और जब उसकी मृतका बहिन रिंकेश व अभियुक्त राजवीर के पुत्र का जन्म हुआ तो कुआ पूजन के कार्यक्रम के लिए 1,00,000 रूपये व अन्य सामान की मांग की और जब उनके द्वारा सामान की अदायगी नहीं की गयी तो ससुराल द्वारा परेशान किया। दिनांक 28.01.2023 की रात को उसकी बहिन के साथ मारपीट की गयी और दिनांक 29.01.2023 को उसकी बहिन को फांसी से लटकाकर मार दिया तथा शोकग्रस्त होने के कारण उसी समय मुकदमा दर्ज नहीं करवा सके, आदि।

3. परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना बसवा के द्वारा अंतर्गत धारा 304–बी/34 भारतीय दंड संहिता,1860 के तहत प्रकरण संख्या–56/2023 दर्ज कर अनुसंधान किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्त राजवीर पुत्र गंगासहाय के विरूद्ध आरोप पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजवीर पुत्र गंगासहाय के विरूद्ध धारा 304–बी, 406 एवं 498 ए भारतीय दंड संहिता, 1860 के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस कमिट सुनकर प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने पर न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–01, बांदीकुई को कमिट होकर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अंतरित होकर इस न्यायालय

को प्राप्त हुआ।

4. दिनांक 01.05.2024 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त राजवीर को धारा 304–बी, 406 एवं 498 ए भारतीय दंड संहिता, 1860 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त राजवीर ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष के द्वारा मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू–1 से पी.डब्ल्यू–19 को पेश कर परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शपी–1 से प्रदर्शपी–39 को प्रदर्शित करवाया गया।

6. अभियुक्त राजवीर के धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत कथन लेखबद्ध किये गये। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना व झूंठ बोलना कथन किया है। साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा। जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

7. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपनी दोराने बहस मौखिक रूप से तर्क दिया है कि अभियुक्त के द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है और अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अन्त में अभियुक्त राजवीर को सभी धाराओं के आरोप में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त राजवीर की ओर से तर्क दिया गया कि परिवादी, उसकी माता तथा अन्य सभी मुख्य गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुये है। किसी भी गवाह के द्वारा अभियोजन कहानी की ताइद नहीं की गयी है। प्रदर्श पी 1 एवं प्रदर्श डी 1 में दहेज के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। मृतका के अंतिम संस्कार संबंधित सभी कार्यक्रमों में परिवादी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे है और उस वक्त किसी भी परिवारजन के द्वारा दहेज हत्या का आरोप दर्ज

नहीं कराया गया। अभियुक्त को पुलिस के द्वारा झूठा फंसाया गया है। अन्त में अभियुक्त को सभी धाराओं के आरोप में दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

9. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः–

"आया दिनांक 28.01.2023 से पूर्व एवं शादी के पश्चात किसी भी समय मौजा गुढाकटला बीडा रामा की ढाणी में रिंकेश जो अभियुक्त की विवाहिता पत्नी थी,के साथ दहेज की मांग पूर्ति हेतु शारीरिक व मानसिक प्रताडना कारित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, रिकेश के विवाह में दिये गये स्त्रीधन को रिंकूश के मांगने पर अभियुक्त द्वारा नहीं लौटाकर दुर्विनियोग कर न्यासभंग कारित किया तथा मृतका की मृत्यु से कुछ समय पूर्व रिंकेश के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा रिंकेश को लहरिया दुपट्टे से गले में फांसी का फंदा लगा कर लटका दिया। अभियुक्त ने विवाह के सात वर्ष के भीतर रिंकेश की दहेज मृत्यु कारित की? "

यदि हां तो उचित दंड क्या हो?

10. न्यायालय के द्वारा विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू–1 सुमेर सिंह, जो कि मृतका का भाई है, उसके द्वारा दिनांक 16.02.2023 को पुलिस थाना बसवा के समक्ष जरिये प्रदर्शपी–3 एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी मृतक बहिन रिंकेश का विवाह दिनांक 08.05.2021 को अभियुक्त राजवीर के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ और उसके पिता के द्वारा शादी में 9,00,000 रूपये खर्च कर दहेज का सामान दिया गया किन्तु विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति/अभियुक्त राजवीर एवं अन्य व्यक्तियों के द्वारा रूपये की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करना शुरू कर दिया और जब उसकी मृतका बहिन रिंकेश व

अभियुक्त राजवीर के पुत्र का जन्म हुआ तो कुआ पूजन के कार्यक्रम के लिए 1,00,000 रूपये व अन्य सामान की मांग की और जब उनके द्वारा सामान की अदायगी नहीं की गयी तो ससुराल द्वारा परेशान किया। दिनांक 28.01.2023 की रात को उसकी बहिन के साथ मारपीट की गयी और दिनांक 29.01.2023 को उसकी बहिन को फांसी से लटकाकर मार दिया तथा शोकग्रस्त होने के कारण उसी समय मुकदमा दर्ज नहीं करवा सके, आदि।

11. पुलिस थाना बसवा के द्वारा अभियुक्त राजवीर व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 304–बी/34 भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत एफ.आई. आर.नंबर–56/2023 दर्ज की गयी और दौराने अनुसंधान गवाहन के बयान लेखबद्ध कर व अन्य दस्तावेजात मुर्तिब कर बाद अनुसंधान अभियुक्त राजवीर के विरूद्ध अंतर्गत धारा 304–बी, 406 एवं 498ए भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत आरोप पत्र पेश किया।

12. पत्रावली में परिवादी सुमेर सिंह के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्शपी–3 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अभियुक्त राजवीर के द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसकी बहिन रिंकेश को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया और उसकी बहिन रिंकेश को फांसी लगाकर जान से मार दिया। परिवादी सुमेर सिंह ने गवाह पी.डब्ल्यू–1 के रूप में न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में इन तथ्यों को दोहराया है, किन्तु उसके द्वारा अपने प्रति परीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त राजवीर के द्वारा उसकी बहिन रिंकेश व उनसे कभी भी दहेज की मांग नहीं की, ना ही दहेज व अन्य किसी भी कारण से उसकी बहिन को प्रताडित व परेशान किया बल्कि जब भी कभी उसे व उसके भाई व परिवार को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो उसका भाई राजवीर से पैसे

मंगवाता था और राजवीर के द्वारा उनको पैसे दिया जाता था।

13. इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू–2 कमोद, जो कि मृतका रिंकेश की मां है, उनके द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त राजवीर के द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने और उसकी पुत्री रिंकेश को खत्म करने का कथन किया गया है, परन्तु प्रति परीक्षण में भी स्पष्ट रूप से कथन किया कि अभियुक्त द्वारा उनकी बेटी व उनसे दहेज की मांग नहीं की, ना ही दहेज व अन्य किसी भी कारण से उसकी बेटी को प्रताडित व परेशान किया बल्कि जब भी उसे, उसके बेटे व परिवार को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वे राजवीर से पैसे मंगवाते थे और राजवीर पैसे देता था।

14. गवाह पी.डब्ल्यू–7 सोनू, जो कि मृतका का भाई है, उसने अपने मुख्य परीक्षण में उसकी बहिन रिंकेश की शादी राजवीर के साथ होना और विवाह के पश्चात से दोनों राजीखुशी साथ रहने का कथन किया है। उसने यह भी बताया कि राजवीर के द्वारा दहेज की मांग करने की बात ना तो उसने सुनी और ना ही देखी। रिंकेश की मृत्यु कैसे हुयी,उसे पता नहीं तथा अभियोजन के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–4 मोतीलाल एवं पी.डब्ल्यू–5 चमनलाल जिनकी मृतका भतीजी है। उनके द्वारा कथन किया गया कि उनकी भतीजी रिंकेश की शादी राजवीर के साथ हुई थी और विवाह के पश्चात दोनों अच्छी तरह रह रहे थे। राजवीर और उनके परिवार ने रिंकेश से ना तो दहेज की मांग की और ना ही दहेज के लिए प्रताडित किया और रिंकेश की मृत्यु कैसे हुई, यह उनको पता नहीं है।

15. अभियोजन के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–6 विजय कुमार, पी.डब्ल्यू–10 कैलाश चंद, पी.डब्ल्यू–11 प्रेम देवी एवं गवाह पी.डब्ल्यू–12 छोटी देवी भी

पक्षद्रोही घोषित हुए है और उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि राजवीर के द्वारा कभी भी रिंकेश व उनके परिवार से दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करने की बात ना तो देखी है ना सुनी है। रिंकेश की मृत्यु कैसे हुई, यह उनको पता नहीं है।

16. गवाह पी.डब्ल्यू–13 डॉ. नन्दलाल डिसानिया, जो कि वक्त घटना एस.एम.एस.अस्पताल में मेडीकल ज्यूरिष्ट के पद पर कार्यरत रहे और उनके द्वारा मृतका रिंकेश के शरीर का परीक्षण कर जरिये प्रदर्शपी–17 एफ.एस. एल.रिपोर्ट जारी की, उनकी रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण गले में फांसी का फंदा लगाने से आक्सीजन की कमी से हुई है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–16 डॉ.प्रदीप मित्तल, जो कि वक्त एस.एम.एस.अस्पताल में सीनियर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे और इनके द्वारा मृतका का इलाज किया गया और इनके द्वारा बीएचटी रिपोर्ट प्रदर्शपी–18 जारी की गयी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार घटना के समय मृतका की स्थिति काफी सीरियस थी और मुताबिक सलाह इलाज दिया गया तथा दिनांक 04.02.2023 को मृतका की मृत्यु हो गयी। गवाह पी.डब्ल्यू–17 डॉ.गिरधर शर्मा, जो कि दिनांक 13.03.2023 को सीएचसी बसवा में चिकित्सा अधिकारी कार्यरत थे, मुलजिम राजवीर की पुरूषत्व संबंधी मेडीकल रिपोर्ट जरिये प्रदर्शपी–19 जारी की गयी।

17. गवाह पी.डब्ल्यू–19 उदय सिंह, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि बाद अनुसंधान उसने अभियुक्त राजवीर के विरूद्ध अंतर्गत धारा 304–बी, 406 एवं 498ए भारतीय दंड संहिता, 1860 का अपराध प्रमाणित माना, किन्तु साथ ही प्रति परीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि उसका पति ही रिंकेश को

बांदीकुई अस्पताल में लेकर आया था और उसके द्वारा ही उसका इलाज करवाया गया था। उसने प्रति परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 29.01.2023 से 4 तारीख मृत्यु की तिथि तक एसएमएस अस्पताल, पुलिस चौकी व अन्य कोई स्थान पर परिजन द्वारा दहेज मांगने व हैरान, परेशान करने की कोई भी शिकायत नहीं की गयी। मृतका के अंतिम संस्कार, तीये की बैठक, नहान एवं 12 वें के कार्यक्रम में पीहर पक्ष के सभी परिजन राजीखुशी शामिल हुए थे और किसी के द्वारा भी उस समय दहेज की मांग को लेकर हैरान परेशान करने का कथन नहीं किया।

18. **धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता, 1860–**जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

19. **धारा 406 भारतीय दंड संहिता, 1860–** जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर अधिकार किसी प्रकार अपने को निरस्त किये जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, वह आपराधिक न्यासभंग करता है।

20. **धारा 498–ए भारतीय दंड संहिता, 1860–**जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा,

इस धारा के प्रयोजनों के लिए "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैः–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है, जिससे उस स्त्री की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसका या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

21. धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता, 1860 के अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक है कि असामान्य परिस्थितियों में कारित हुई मृत्यु से कुछ समय पूर्व पति या पति के नातेदारों द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो और उसके कारण मृतका की मृत्यु कारित हुई हो।

22. पत्रावली में चिकित्सीय साक्षी गवाह पी.डब्लयू–13 डॉ.नन्दलाल एवं गवाह पी.डब्ल्यू–16 डॉ.प्रदीप मित्तल तथा गवाह पी.डब्लयू–1 सुमेर सिंह एव पी.डब्ल्यू–3 कमोद के बयानों से यह तो स्पष्ट है कि मृतका रिंकेश की मृत्यु दुपट्टा से फांसी लगाने से हुई, किन्तु पत्रावली में स्वयं परिवादी, मृतका की माता, भाई एवं अन्य निकट रिश्तेदारों तथा पडौसियों ने पत्रावली में ऐसा कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है कि अभियुक्त राजवीर या उसके नातेदारों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से मृतका रिंकेश को प्रताडित किया हो और दहेज की पूर्ति नहीं होने के कारण मृतका की मृत्यु कारित की हो।

23. अंतर्गत धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता, 1860 के अपराध को

साबित करने के लिए आवश्यक है कि अभियोजन के द्वारा यह साबित किया जावे कि पति या पति के नातेदार द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया हो। पत्रावली में स्वयं परिवादी, मृतका की माता, भाई एवं अन्य निकट रिश्तेदारों तथा पडौसियों ने पत्रावली में ऐसा कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है कि अभियुक्त राजवीर या उसके नातेदारों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से मृतका रिंकेश को प्रताडित किया हो।

24. अंतर्गत धारा 406 भारतीय दंड संहिता, 1860 को साबित करने के लिए आवश्यक है कि परिवादी पक्ष के द्वारा अभियुक्त को विश्वासपूर्वक कोई सामान न्यस्तः किया गया हो और अभियुक्त के द्वारा बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुये उस सामान का दुर्विनियोग किया गया हो। पत्रावली में स्वयं परिवादी, मृतका की माता, भाई एवं अन्य निकट रिश्तेदारों तथा पडौसियों ने पत्रावली में ऐसा कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है कि अभियुक्त राजवीर या उसके नातेदारों के द्वारा मृतका के स्त्रीधन को, जो मृतका के ससुराल में मृतका के पति के पास रखा था, उसको मृतका के मांगने पर नहीं लौटाकर आपराधिक न्यायभंग कारित किया हो।

25. गवाह पी.डब्ल्यू–1 सुमेर सिंह एवं पी.डब्ल्यू–3 कमोद ने स्पष्ट कथन किया है कि जब जब परिवादी को पैसे की आवश्यकता होती थी तो अभियुक्त राजवीर के द्वारा उनको पैस उपलब्ध करवाता था। जब अभियुक्त राजवीर के द्वारा ही परिवादी पक्ष को धनराशि समय समय पर उपलब्ध करवायी जाती थी, तो ऐसी स्थिति में यह माना नहीं जा सकता कि अभियुक्त राजवीर के द्वारा दहेज की मांग के लिए परिवादी पक्ष को परेशान किया गया हो और मृतका का सामान उनको मांगने पर नही लौटाया गया हो।

26. तदनुसार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य सामग्री से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त राजवीर के द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मृत्यु कारित की हो और मृतका के स्त्रीधन को, जो मृतका के ससुराल में मृतका के पति के पास रखा था, उसको मृतका के मांगने पर नहीं लौटाकर आपराधिक न्यायभंग कारित किया हो। अतः अभियुक्त राजवीर अपराध अंतर्गत धारा 304–बी, 406 एवं 498–ए भारतीय दंड संहिता, 1860 के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

27. अतः अभियुक्त **राजवीर** पुत्र गंगासहाय, निवासी–बीडा की ढाणी, गुढाकटला, पुलिस थाना–बसवा, जिला–दौसा को **धारा 304–बी, 406 एवं 498 ए** भारतीय दंड संहिता, 1860 के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

28. प्रकरण में जप्तशुदा दहेज का सामान, जो जरिये प्रदर्श पी 36 के अनुसार परिवादी को सुपुर्द कर रखा है, बाद गुजरने मियाद अवधि निगरानी/अपील नियमानुसार परिवादी के पास ही रखा जावे एवं फर्द जप्ती प्रदर्श पी 11 के जरिये, जो सामान पुलिस थाना बसवा में सीलशुदा हालत में रखा हुआ है, बाद गुजरने मियाद अवधि निगरानी/अपील पेश होने की स्थिति में परिवादी की माता कमोद को सुपुर्द कर दिया जावे।

29. प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत यदि कोई हो तो बाद गुजरने

मियाद अवधि निगरानी/अपील नियमानुसार नष्ट किये जावे एवं निगरानी/अपील पेश होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जावे।

(अनुतोष गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2,
बांदीकुई, जिला दौसा

30. निर्णय आज दिनांक 06.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुतोष गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2,
बांदीकुई, जिला दौसा